हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क सुधार कार्यक्रम
(विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित)

मंडी-रिवालसर-कलखर रोड (28 किमी)

पुनर्वास कार्य योजना

अक्टूबर 2021

<u>प्रस्तुति</u> :

डेक्कन कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली,

(एचपीआरआईडीसीएल के लिए स्वतंत्र ईएसआईए परामर्शदाता)

हिमाचल प्रदेश सडक और अन्य अवसंरचना विकास निगम लि0

(हिमाचल प्रदेश सरकार का उपक्रम)

(आईएसओ 9001: 2008 क्यूएमएस और आईएसओ 14001: 2004

ईएमएस कंपनी की पुष्टि करते हुए)

कार्यकारी सारांश

1.0 परियोजना का विवरण

1. हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर के परिवहन संस्थानों में सुधार लाने, हि.प्र में बागवानी और समग्र आर्थिक विकास की दृष्टि से परिवहन तथा परिचालन व्यवस्था सुधारने और राज्य को भारतमाला नेटवर्क से जोड़ने तथा सड़क सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित **हिमाचल प्रदेश सड़क सुधार कार्यक्रम-एचपीएसआरटीपी** लागू करने की योजना तैयार की है। इस प्रकार, एचपीएसआरटीपी राज्य भर में परिवहन के ढांचे और संभारतंत्र सेवाओं के संचालन के लिए संस्थागत आधार मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले, राज्य सरकार के कार्यक्रम, को शुरू करने में सहायता करेगा।

2. एचपीएसआरटीपी का परियोजना विकास लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी और समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन, संभार तंत्र और सड़क सुरक्षा संस्थानों की दक्षता में वृद्धि करना है। एचपीएसआरटीपी में तीन घटक शामिल हैं, अर्थात् (क) घटक 1: हिमाचल प्रदेश के परिवहन और संभार तंत्र संस्थानों का निर्माण और समनुत्थान (ख) घटक 2 : फल उत्पादन क्षेत्रों में सुधार और हिमाचल प्रदेश में बागवानी और समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और (ग) घटक 3: सड़क सुरक्षा बढ़ाना।

2.0 एचपीएसआरटीपी-भाग 1 के अंतर्गत उप परियोजना सड़कें

3. एचपीएसआरटीपी के भाग-1 के तहत, घटक 2 के लक्ष्य के अनुरूप कुल 77.65 कि.मी. लंबे चार सड़क गलियारों के उन्नयन/चौड़ाकरण पर विचार किया जा रहा है। ये चार गलियारे हैं-(i) बद्दी-साई-रामशहर (33.40 किमी) (ii) दधोल-लाड्रोर (13.50 किमी) (iii) मंडी-रिवालसर-कलखर (28 किमी) और (iv) रघुनाथपुरा-मंडी-हरपुरा-भरारी (2.74 किमी)।

4. पहले दो गलियारे अनुमोदित हैं और वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं। मंडी-रिवालसर-कलखर और रघुनाथपुरा-मंडी-हरपुरा-भरारी कॉरिडोर को कार्यान्वयन के लिए तैयार किया जा रहा है। मंडी-रिवालसर-कलखर के लिए पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) इस खंड में प्रस्तुत की गई है जबकि रघुनाथपुरा-मंडी-हरपुरा-भरारी सड़क के लिए आरएपी वांछनीय नहीं है, क्योंकि इसका कोई सामाजिक प्रभाव नहीं है।.

3.0 एचपीएसआरटीपी-भाग 1 से संबद्ध सुविधाएं

5. वर्तमान में एचपीपीडब्ल्यूडी द्वारा 28 किमी लंबी मंडी-रिवालसर-कलखर सड़क के साथ विभिन्न श्रृंखलाओं में चार पुल (3 लघु और 1 बड़ा पुल) निर्माणाधीन हैं और भारत सरकार के केंद्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) के माध्यम से वित्त पोषित हैं। मंडी रिवालसर कलखर, भाग-1 के तहत चार गलियारों

में से एक है और चार पुल, जो निर्माणाधीन हैं, वे विश्व बैंक की ईएसएफ नीति में 'संबद्ध सुविधाओं' के रूप में क्वालिफाई करने के सभी निर्धारित तीन मानदंडों को पूरा करते हैं।

6. ऊपर वर्णित क्वालिफाइंग संबद्ध सुविधाएं, किसी अन्य बहु-पक्षीय या द्वि-पक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा वित्त पोषण के अंतर्गत नहीं हैं, इसलिए इनके बारे में पर्यावरणीय/सामाजिक जोखिमों और प्रभावों के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए साझा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता लागू नहीं होगी। इसके अलावा, ईएसएफ नीति यह निर्धारित करती है कि क्वालिफाइंग संबद्ध सुविधाएं ईएसएस की आवश्यकताओं को उस सीमा तक पूरा करेंगी, जिस हद तक उधारकर्ता (एचपीआरआईडीसीएल) का ऐसी संबद्ध सुविधाओं पर नियंत्रण है।

4.0 उप परियोजना सड़क:मंडी-रिवालसर-कलखर

7. मंडी-रिवालसर-कलखर सड़क 28 किलोमीटर लंबी है और इसे एमडीआर-26 (प्रमुख जिला सड़क) के रूप में नामित किया गया है। परियोजना सड़क मंडी शहर से शुरू होती है और कलखर पर समाप्त होती है और पूरी तरह से मंडी जिले की मंडी तहसील के भीतर आती है। परियोजना सड़क 0 कि.मी. पर राष्ट्रीय राजमार्ग-154, 4.5 कि.मी. (तल्याहर) पर NH-3 और 28 किमी पर एमडीआर 84/पुराने राज्य राजमार्ग 32 से जुड़ती है।

8. परियोजना सड़क के साथ कुछ बड़े बस्ती क्षेत्रों में स्वयं मंडी शहर, जिसका ऐतिहासिक महत्व है, पंजेटी, तल्याहार, घेरा, गडेल, रत्तीपुल, राघवानू, रंधरा, गांभरपुल, रिवालसर, कलखर आदि शामिल हैं। कुल 28 किमी लंबाई में से, बस्तियों के निर्मित क्षेत्र 9 किमी तक फैले हुए हैं, जो कि सड़क की लंबाई का लगभग 32% है। परियोजना सड़क के किनारे 16 जंक्शन हैं, जिनमें से 3 प्रमुख जंक्शन हैं और शेष 13 छोटे जंक्शन हैं, जो आस-पास के गांवों/बस्तियों से जुड़ते हैं।.

9. रिवालसर, जो 22.5 किलोमीटर पर परियोजना गलियारे के साथ जुड़ता है, एक शांत जगह है जिसकी झील वन भाग से घिरी हुई है और जो अद्भुत रूप से सुंदर है और इसमें 4 मठ-ड्रिकुंग काग्यू, त्सो-पेमा ऑर्गेन हेरु-काई, जिगर ड्रुकपा काग्यूड और निंगमापा, 3 हिंदू मंदिर और 1 गुरुद्वारा है। नैना देवी मंदिर, धार्मिक महत्व का एक और प्रतिष्ठित स्थान है, जो पहाड़ी की चोटी पर है और रिवालसर से 10 किमी दूर स्थित है। इसलिए, रिवालसर भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। मंडी-रिवालसर-कलखर रोड में कोई भी अनुसूची-5 (Schedule -V) क्षेत्र या आदिवासी परिवार नहीं हैं जो ईएसएस-7[1] में उल्लिखित विशेषताओं को पूरा करते हों।

[1] ईएसएस-*7* में उल्लिखित विशेषताएं- मूल निवासी/उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से कम सुविधाओं वाले पारंपरिक स्थानीय समुदाय हैं।

मंडी-रिवालसर-कलखर सड़क का प्रस्तावित उन्नयन

10. यातायात मांग पूर्वानुमान और सेवा के स्तर (एलओएस) के आधार पर, जैसा कि आईआरसी द्वारा अनुशंसित है, मध्यवर्ती (25.18 किमी) और दो लेन (1.7 किमी) विन्यास तथा सड़क के विभिन्न खंडों में 9 विशिष्ट क्रॉस सेक्शन के साथ मंडी-रिवालसर-कलखर सड़क के लिए विचार किया गया है। सड़क का चौड़ीकरण उपलब्ध मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) तक ही सीमित होगा और किसी नए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। मौजूदा आरओडब्ल्यू के स्वामित्व की स्थिति को संबंधित लोक निर्माण विभाग, राजस्व और वन विभागों के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण के माध्यम से सत्यापित किया गया है और परियोजना तैयार करने वाले सलाहकारों द्वारा जमीनी स्तर पर आरओडब्ल्यू का सीमांकन करके सीमा स्तंभों की जांच की गई है।.

मंडी-रिवालसर-कलखर सड़क के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ईएसआईए)

11. विश्व बैंक के पर्यावरण और सामाजिक ढांचा (ईएसएफ 2016) के अनुसार मंडी- रिवालसर-कलखर सड़क के लिए ईएसआईए तैयार किया गया है। परियोजना गलियारे के लिए किए गए ईएसआईए से पता चलता है कि मौजूदा आरओडब्ल्यू, प्रस्तावित सुधारों के लिए पर्याप्त है और किसी नए भूमि अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु, मंडी-रिवालसर-कलखर के लिए मार्ग का अधिकार बाधाओं से मुक्त नहीं था। मार्ग के कई हिस्सों, खासकर बस्ती क्षेत्रों और शहरीकृत हिस्सों में, आरओडब्ल्यू का अतिक्रमण किया गया। इस तरह के अतिक्रमणों में मुख्य रूप से आस-पास के भूमि मालिकों द्वारा आवासीय, आवासीय-एवं-वाणिज्यिक और वाणिज्यिक ढांचों का निर्माण शामिल था।

12. यह पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) अंतिम डिजाइन[2] के बारे में ईएसआईए के निष्कर्षों पर आधारित है और एचपीएसआरटीपी के पुनर्वास नीति ढांचा के अनुसार, तैयार की गई है, जो परियोजना सड़क के साथ कई स्थानों पर आरओडब्ल्यू के भीतर अतिक्रमणों का समाधान करती है।

5.0 पुनर्वास नीति ढांचा

13. एचपीएसआरटीपी के पास इस कार्यक्रम के तहत सभी भागों के लिए विश्व बैंक से अनुमोदित पुनर्वास कार्य योजना (आरपीएफ) है, जो राष्ट्रीय, राज्य और डब्ल्यूबी ईएसएस 5 के बीच की खाई को पाटती है और विश्व बैंक के ईएसएस 5 के प्रावधानों के अनुरूप है। आरपीएफ के सिद्धांतों के अनुसार, सभी प्रभावित व्यक्ति/परिवार/घर मुआवजे के पैकेज और पुनर्वास सहायता के संयोजन के हकदार हैं, जो खोई हुई संपत्ति पर स्वामित्व के अधिकारों के प्रकार और विस्थापित व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक कमजोरी सहित दुष्प्रभाव के दायरे और उनकी आजीविका बहाली में सहायता के उपायों पर निर्भर करता है, बशर्ते आजीविका प्रभावों की परिकल्पना की गई हो।

[2] विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नवंबर 2019 में तैयार की गई और बाद में मार्च 2020 में अद्यतन की गई।

6.0 मंडी-रिवालसर-कलखर सड़क परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी)/परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएच) की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा

14. मंडी-रिवालसर-कलखर सड़क परियोजना से प्रभावितों में 79 व्यक्ति (पीएपी) और 18 परिवार[3] (पीएएच) शामिल हैं। 79 पीएपी में से 66 व्यक्ति 14 वर्ष से ऊपर के हैं और शेष बच्चे हैं। सड़क परियोजना 16 भवनों और उनमें रहने वाले 18 परिवारों (परिशिष्ट 1 और 2) को प्रभावित करेगी। 79 पीएपी में, 41.77% पुरुष और 58.23% महिलाएं हैं और ये सभी 10 से अधिक वर्षों से परियोजना सड़क के किनारे रह रहे हैं। 90% से अधिक पीएपी साक्षर हैं। आमदनी के नजरिये से 50% पीएपी उच्च मध्यम-आय वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनकी प्रति माह आय 10,000 से 20,000 के बीच है। निम्न आय वाले परिवार लगभग 11.11% हैं, जो प्रति माह 10,000 रुपये से कम कमाते हैं। पीएएफ में से, 27.78% उच्च आय वर्ग में हैं, जो प्रति माह 20,000 रुपये से अधिक कमाते हैं। सर्वेक्षण किए गए पीएएफ के व्यय पैटर्न से संकेत मिलता है कि उनमें से अधिकांश का औसत मासिक खर्च 10,000 रुपये प्रति माह से कम है। लगभग सभी पीएएफ के पास टेलीविजन, फ्रिज, दो और चार पहिया वाहन जैसे मूलभूत सुविधाएं/सामान हैं। सर्वेक्षण के दौरान जानकारी देने वाले 16 परिवारों में से चार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण लिया है और विशेष रूप से किसी भी पीएएफ ने निजी साहूकारों से उधार नहीं लिया है। 79 पीएपी में से केवल एक जन्म से ही दिव्यांगजन है और एक पीएपी ने किसी पुरानी बीमारी की सूचना दी है।

7.0 हितधारक परामर्श

15. पीएपीज/पीएएफ्स के साथ हितधारक परामर्श आयोजित किए गए, जिनका लक्ष्य मुख्य रूप से लोगों को परियोजना की जानकारी देना और परियोजना घटकों और उसके प्रभावों पर उनकी राय एवं आकांक्षाएं जानने के लिए एक मंच के रूप में उनका उपयोग करना था। सूचना संप्रेषण के अंतर्गत (क) प्रस्तावित संरेखण सुधार, (ख) सड़क चौड़ीकरण के विकल्पों, (ग) समुदाय की भूमिका और जिम्मेदारियां, (घ) शिकायत निवारण तंत्र, (ङ) मालिकाना-विलेख रहित भूमि-धारकों और अवैध कब्जाधारकों को मुआवजे से संबंधित मुद्दों, कमजोर समूहों को सहायता, आय बहाली, रोजगार सृजन, सूचना प्रवाह, शिकायत निवारण तंत्र आदि सहित एचपीएसआरटीपी के तहत आरपीएफ प्रावधान के बारे में पीएपीज/पीएएफ्स और स्थानीय समुदाय के साथ चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने हालांकि पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे उठाए, परन्तु, उन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकता और परियोजना सड़कों को चौड़ा करने की आवश्यकता पर सामान्य रूप से सहमति व्यक्त की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि यह सहमति बार-बार उभर कर सामने आयी। पीएपीज/पीएएफ्स और अन्य स्थानीय

[3] कुल 18 परिवारों में से केवल 16 ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में भाग लिया। 2 परिवारों के मुखिया अन्य राज्यों में काम पर चले गए हैं।

निवासियों/प्रतिभागियों द्वारा परियोजना की जानकारी के संप्रेषण और प्रकटीकरण की प्रक्रिया की अत्यधिक सराहना की गई।

8.0 परियोजना प्रभाव

16. प्रस्तावित सड़क उन्नयन और परियोजना सड़क गलियारे का चौड़ीकरण मार्ग के उपलब्ध अधिकार तक सीमित होगा और इसलिए इसमें भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, ढांचों और उन सीपीआर्स (सामान्य संपत्ति संसाधन) पर प्रतिकूल प्रभाव कम करने के प्रयास किए गए हैं, जो निकटवर्ती भूस्वामियों द्वारा वर्षों से मार्ग के अधिकार क्षेत्र में निर्मित्त किए गए हैं।

- **भूमि पर प्रभाव:** सड़क चौड़ीकरण परियोजना उपलब्ध मौजूदा मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) तक सीमित होगी और इसलिए निजी भूमि के नए अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु, कुछ स्थानों पर निकटवर्ती स्वामित्व विलेख धारी भूस्वामियों द्वारा विस्तार के माध्यम से आरओडब्ल्यू का अतिक्रमण किया गया है।
- **ढांचों पर प्रभाव:** पीएपीज/पीएएफ्स के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि 18 पीएएफ से संबंधित 16 ढांचे सड़क चौड़ीकरण के कारण प्रभावित होंगे। प्रभावित ढांचों में 9 पक्के ढांचे, 1 कच्चा, और 5 परिसर की दीवार/ शौचालय/शेड और 1 अस्थायी स्क्वॉटर शामिल है। प्रभाव की सीमा 3 ढांचों के लिए 50% से कम, एक पर 30-50% और 5 के लिए 10-30% और 7 ढांचों पर 10% से कम है। जिन परिवारों के भवन 50% से अधिक प्रभावित होते हैं, उन्हें भौतिक रूप से विस्थापित पीएएफ्स[4] माना जाता है और उन पर अतिरिक्त सहायता के लिए विचार किया जाता है (परिशिष्ट 1 और 2)।
- **सीपीआर:** सड़क गलियारा परियोजना में 24 पूजा-स्थल/स्थान (चबूतरा सहित पीपल का पेड़) हैं, जिनमें से 14 को बरकरार रखा गया है और संरक्षण उपाय के रूप में 10 स्थलों के नवीकरण पर विचार किया गया है, जिसमें ढांचा/मंदिर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना 2 पूजा-स्थलों का स्थानांतरण और एक चबूतरा का आकार बदलना शामिल है। ऐसे ढांचों के लिए संरक्षण/संवर्द्धन योजना को पर्याप्त बजटीय प्रावधानों के साथ ईएसएमपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा, आरओडब्ल्यू क्षेत्र में 14 हैंडपंप, 1 पानी की टंकी, 2 वर्षा शालिका (बस स्टॉप) और 1 सार्वजनिक शौचालय है, जिनमें से सभी को स्थानांतरित और पुनर्निर्मित किया जाएगा और इसके लिए परियोजना लागत में प्रावधान किया गया है।

[4] नोट: 50% और उससे अधिक प्रभाव वाले 3 ढांचों में से 2 वाणिज्यिक संरचनाएं हैं, जिसमें से 1 किरायेदार द्वारा संचालित शराब की दुकान है, 1 मालिक द्वारा संचालित चाय की दूकान (स्नैक एवं टी शॉप) है और और 1 फिक्स्ड स्टाल (स्क्वॉटर) पर सब्जी/फल विक्रेता है। 50% और उससे अधिक प्रभाव वाले इन सभी 3 पीएएफ्स और एक वाणिज्यिक ढांचे के किरायेदार को अस्थायी रूप से आय का नुकसान होगा और इसलिए उन्हें भौतिक और आर्थिक रूप से विस्थापित पीएएफ समझा जाएगा। आर्थिक रूप से विस्थापित सभी पीएएफ्स ने अपनी पसंद के निकटवर्ती स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए सहमति दी है, जो उपलब्ध हैं, परन्तु उनके लिए सहायता अपेक्षित/आवश्यक है।

9.0 अंतिम तारीख

17. मंडी-रिवालसर-कलखर सड़क से प्रभावित पीएपीज/पीएएफ्स के सामाजिक सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2020 है।

10.0 आरएपी के कार्यान्वयन के लिए बजट प्रावधान

18. मंडी-रिवालसर-कलखर सड़क से संबंधित पुनर्वास कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित बजट 72.48 लाख (7.24 मिलियन) रुपये है।

11.0 आरएपी कार्यान्वयन के लिए व्यवस्थाएं

19. एचपीआरआईडीसीएल ने एचपीएसआरटीपी के प्रथम भाग, जिसमें मंडी-रिवालसर-कलखर सड़क शामिल है, के तहत सभी 4 गलियारों की पुनर्वास कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए एक एनजीओ (गैर-सरकारी संस्था) नियुक्त किया है। एनजीओ यह सुनिश्चित करेगा कि पीएपीज/पीएएफ्स और अन्य हितधारकों को उप-परियोजना सड़क, इसके सामाजिक प्रभाव, उनके अधिकारों और आरएपी के तहत प्रावधानों के बारे में विधिवत सूचित किया जाए और उनसे परामर्श लिया जाए।.

20. विश्व बैंक की सूचना तक पहुंच की नीति के अनुसार, सभी प्रमुख परियोजना दस्तावेज जैसे एसईपी, एलएमपी, आरपीएफ, आरएपी का कार्यकारी सारांश (स्थानीय भाषा में), पात्रता मैट्रिक्स, योग्य पीएपीज/पीएएच/पीएएफ की सूची, ईएसआईए (कार्यकारी सारांश स्थानीय भाषा में) को एचपीआरआईडीसीएल के वेब पोर्टल: http://himachalservices.nic.in/hpridcl/HPSRTP.html पर प्रकट किया जाएगा और विश्व बैंक के वेब पोर्टल पर प्रकटीकरण के लिए साझा किया जाएगा।.

12.0 निगरानी एवं मूल्यांकन

21. एचपीआरआईडीसीएल आरएपी कार्यान्वयन की स्वतंत्र निगरानी के लिए एक बाहरी संस्था को नियुक्त करेगा। बाहरी संस्था आरएपी कार्यान्वयन का मध्यावधि और अंतिम अवधि मूल्यांकन करेगी।.

13.0 शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम)

22. एचपीआरआईडीसीएल प्रत्येक अनुबंध पैकेज स्तर पर जीआरएम स्थापित करेगा, जो पीएपीज/पीएएफ्स दोनों से प्राप्त शिकायतों/समस्याओं का समाधान करेगा, ताकि पीएपीज/पीएएफ्स के ऑन-साइट सत्यापन के दौरान उत्पन्न होने वाली शिकायतों का समाधान, प्रयोज्य पात्रताओं का निर्धारण, आरएपी के कार्यान्वयन के दौरान पात्रताओं का संवितरण किया जा सके। ये सभी कार्य बड़े पैमाने पर निर्माण पूर्व चरण के दौरान पूरे किए जाएंगे। जीआरएम ठेकेदार की निर्माण गतिविधियों जैसे निवास स्थान तक पहुँच की हानि, कुछ निजी या सामान्य संपत्ति या सेवाओं को नुकसान, उत्खनन कार्यों के कारण कंपन, शोर और धूल के स्तर में गिरावाट, अपर्याप्त/अनुचित विचलन, यातायात कुप्रबंधन,

सामुदायिक सुरक्षा के कारण उत्पन्न होने वाली शिकायतों और इसी तरह के अन्य मुद्दों/चिंताओं का भी समाधान करेगा। जीआरएम में निर्दिष्ट संस्थागत व्यवस्थाएं, शिकायतें प्राप्त करने की प्रक्रिया, शिकायतों के निवारण की समय सीमा होगी, जिसे संबंधित परियोजना निर्माण कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा।

23. इसके अलावा, एचपीएसआरटीपी के तहत श्रम प्रबंधन प्रक्रिया (एलएमपी) के अनुसार ठेकेदार सड़क निर्माण परियोजना के लिए तैनात कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक और जीआरएम स्थापित करने के लिए अनुबंधित रूप से बाध्य होगा। ठेकेदार द्वारा स्थापित किए जाने वाले जीआरएम में निर्दिष्ट संस्थागत व्यवस्थाएं होंगी, जैसे शिकायतें प्राप्त करने की प्रक्रिया, शिकायतों के निवारण के लिए समय सीमा आदि, जिनका ब्यौरा काम शुरू होने से पहले ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत और सीएससी द्वारा अनुमोदित की जाने वाली सी-ईएसएमपी में में दिया जाएगा।

24. सड़क परियोजना के तहत शिकायत दर्ज करने, पूछताछ और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संपर्क विवरण/सूचना और एचपीएसआरटीपी के तहत किए गए किसी भी परियोजना उपाय को संबंधित परियोजना निर्माण कार्यालयों के साथ-साथ एचपीआरआईडीसीएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

14.0 आरएपी कार्यान्वयन कार्यक्रम

25. सड़क चौड़ीकरण परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि 24 महीने है, जिसमें मानसून की अवधि शामिल नहीं है। परन्तु, एचपीआरआईडीसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि आरएपी का कार्यान्वयन एनजीओ द्वारा कार्य सौंपे जाने के 6 महीने के भीतर पूरा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अतिक्रमणों को हटाने और सिविल कार्यों के शुरू होने से पहले मुआवजा वितरित कर दिया गया है। निगम यह भी सुनिश्चित करेगा कि सड़क परियोजना के अतिक्रमण मुक्त हिस्सों को निर्माण के लिए समय पर ठेकेदारों को उपलब्ध कराया जाये।

परिशिष्ट 1

प्रभावित ढांचों की सूची

परिशिष्ट 1: प्रभावित ढांचों की सूची: मंडी - रिवालसर - कलखर रोड

क्र. सं.	स्थल चिह्नित श्रृंखला-माप	गांव	दिशा	उपयोग/ संपत्ति का प्रकार	मौजूदा मध्यवर्ती पंक्ति से डिजाइन की आवश्यकता	मौजूदा सेंटरलाइन से दूरी	प्रभाव	ढांचे की लंबाई	ढांचे की चौड़ाई	अभ्युक्ति	चित्र
1	2+110	पंजेटी	दायीं ओर	आवासीय एवं वाणिज्यिक	7.4	3.7	3.7	16	10	कार वाशिंग केन्द्र के साथ आवास पर प्रभाव	
2	4+400	तल्याहार	बायीं ओर	आवास	4.6	3.7	0.9	19	7	आंशिक प्रभाव	

क्र. सं.	स्थल चिह्नित श्रृंखला-माप	गांव	दिशा	उपयोग/ संपत्ति का प्रकार	मौजूदा मध्यवर्ती पंक्ति से डिजाइन की आवश्यकता	मौजूदा सेंटरलाइन से दूरी	प्रभाव	ढांचे की लंबाई	ढांचे की चौड़ाई	अभ्युक्ति	चित्र
3	7+465	रत्तीपुल	बायीं ओर	आवासीय एवं वाणिज्यिक	11.6	8.0	3.6	7.5	20	टी स्टॉल और जनरल स्टोर	
4	10+215	रंधारा	बायीं ओर	आवासीय एवं वाणिज्यिक	4.3	3.4	0.9	7.2	10.0	रैम्प के नीचे स्टोररूम	

क्र. सं.	स्थल चिह्नित श्रृंखला-माप	गांव	दिशा	उपयोग/ संपत्ति का प्रकार	मौजूदा मध्यवर्ती पंक्ति से डिजाइन की आवश्यकता	मौजूदा सेंटरलाइन से दूरी	प्रभाव	ढांचे की लंबाई	ढांचे की चौड़ाई	अभ्युक्ति	चित्र
5	13+020	हवानी	दायीं ओर	आवासीय	5.6	4.0	1.6	19.0	15.0	दीवार, शौचालय और प्लेटफार्म प्रभावित	
6	16+410	घोर	दायीं ओर	आवासीय	8.4	7.0	1.4	9.0	7.0	ढांचे की दीवार प्रभावित	

क्र. सं.	स्थल चिह्नित श्रृंखला-माप	गांव	दिशा	उपयोग/ संपत्ति का प्रकार	मौजूदा मध्यवर्ती पंक्ति से डिजाइन की आवश्यकता	मौजूदा सेंटरलाइन से दूरी	प्रभाव	ढांचे की लंबाई	ढांचे की चौड़ाई	अभ्युक्ति	चित्र
7	16+730	घोर	दायीं ओर	आवासीय एवं वाणिज्यिक	9.7	7.7	2.0	3.7	3.0	शौचालय और सीढ़ियां प्रभावित	
8	19+810	सैफ्रू	दायीं ओर	आवास	9.5	8.0	1.5	20.0	10	केवल गेट प्रभावित	

क्र. सं.	स्थल चिह्नित श्रृंखला-माप	गांव	दिशा	उपयोग/ संपत्ति का प्रकार	मौजूदा मध्यवर्ती पंक्ति से डिजाइन की आवश्यकता	मौजूदा सेंटरलाइन से दूरी	प्रभाव	ढांचे की लंबाई	ढांचे की चौड़ाई	अभ्युक्ति	चित्र
9	19+920	सैफ्रू	दायीं ओर	बाउंडरी वॉल	8.9	4.6	4.3	1.5	5.0	बाउंडरी वॉल प्रभावित	
10	19+940	सैफ्रू	दायीं ओर	बाउंडरी वॉल	6.9	4.3	2.6	6.0	3.4	बाउंडरी वॉल प्रभावित	

क्र. सं.	स्थल चिह्नित श्रृंखला-माप	गांव	दिशा	उपयोग/ संपत्ति का प्रकार	मौजूदा मध्यवर्ती पंक्ति से डिजाइन की आवश्यकता	मौजूदा सेंटरलाइन से दूरी	प्रभाव	ढांचे की लंबाई	ढांचे की चौड़ाई	अभ्युक्ति	चित्र
11	24+275	देहरी गालू	दायीं ओर	आवासीय	7.6	4.0	3.6	6.5	10.0		
12	24+660	देहरी गालू	दायीं ओर	शेड	7.0	6.2	0.8	4.0	2.5	अस्थायी टिन शेड/मवेशी शेड	

क्र. सं.	स्थल चिह्नित श्रृंखला-माप	गांव	दिशा	उपयोग/ संपत्ति का प्रकार	मौजूदा मध्यवर्ती पंक्ति से डिजाइन की आवश्यकता	मौजूदा सेंटरलाइन से दूरी	प्रभाव	ढांचे की लंबाई	ढांचे की चौड़ाई	अभ्युक्ति	चित्र
13	24+715	देहरी गालू	दायीं ओर	आवासीय एवं वाणिज्यिक	7.0	5.8	1.2	16.7	5.0		
14	28+480	कलखर	दायीं ओर	स्कवॉटर	11.1	0.6	10.5			पिछले 4 वर्षों से अस्थायी टिन शेड के तहत चलायमान फल और सब्जी विक्रेता	

क्र. सं.	स्थल चिह्नित श्रृंखला-माप	गांव	दिशा	उपयोग/ संपत्ति का प्रकार	मौजूदा मध्यवर्ती पंक्ति से डिजाइन की आवश्यकता	मौजूदा सेंटरलाइन से दूरी	प्रभाव	ढांचे की लंबाई	ढांचे की चौड़ाई	अभ्युक्ति	चित्र
15	28+490	कलखर	बायीं ओर	वाणिज्यिक	10.3	3.9	6.4	6.0	4.0	वाणिज्यिक दूकान	
16	28+495	कलखर	बायीं ओर	वाणिज्यिक	10.7	5.0	5.7	8.4	4.0	शराब की दूकान प्रभावित	

परिशिष्ट 2

प्रभावित ढांचों का ब्यौरा

परिशिष्ट 2: प्रभावित ढांचों का ब्यौरा

क्र. सं.	गांव/शहर आईडी	दिशा	संख्या	प्रारंभ	अंत	गांव/बस्ती/ अनुसूचित क्षेत्र का नाम	भूमि/संपत्ति/ढांचे के मालिक का नाम	लंबाई (मी.)		चौड़ाई (मी.)		क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	
								कुल	प्रभावित	कुल	प्रभावित	कुल	प्रभावित
1	पीजेटी	दायीं ओर	01ए	2+110	2+126	त्वाम्बरा/पंजेटी	भूपिंदर ठाकुर	16	16	10	3.7	160	59.2
2	पीजेटी	बायीं ओर	01बी	2+110	2+126	त्वाम्बरा/पंजेटी	कृष्ण कुमार	2 पीएपी एक ही परिसर में रह रहे हैं (जो 2 भाइयों के परिवार हैं)					
3	टीएचआर	बायीं ओर	13	4+390	4+409	तल्याहार	करम सिंह गुलेरिया	19	19	7	0.9	133	17.1
4	आरटीपी	बायीं ओर	2	7+460	7+468	गद्दल	इंदर चन्द्र शर्मा	7.5	7.5	20	3.6	150	27
5	आरएनडी	बायीं ओर	3	10+215	10+222	रंधारा	राजेश कुमार	7.2	7.2	10	0.9	172	6.48
6	आरएलडी	दायीं ओर	4	13+010	13+029	हवानी	करम सिंह	19	19	15	1.6	285	30.4
7	जीएचएयूआर	दायीं ओर	5	16+410	16+419	घौर	जीवन लाल	9	9	7	1.4	63	12.6
8	जीएचएयूआर	दायीं ओर	6	16+730	16+734	घौर	दीवान चंद	3.7	3.7	3	2	11.1	7.4
9	एसपीआर	दायीं ओर	7	19+810	19+830	सैफ्रू	गुलाब चंद	20	20	10	1.5	200	30
10	एसपीआर	दायीं ओर	8	19+920	19+922	सैफ्रू	कृष्ण चंद	1.5	1.5	5	4.3	7.5	6.45
11	एसपीआर	दायीं ओर	9	19+940	19+946	सैफ्रू	सुभाष चंद्र	6	6	3.4	2.6	20.4	15.6
12	डीएचजी	दायीं ओर	10	24+275	24+282	धारगालू	देवकी दास	6.5	6.5	10	3.6	65	23.4
13	एमजेडबल्यू	दायीं ओर	11	24+660	24+664	मुजवारी	तीरथ राज	4	4	2.5	2.5	10	10
14	एमजेडबल्यू	दायीं ओर	12	24+715	24+732	मुजवारी	ज्ञान चंद	16.7	16.7	10	1.2	167	20.04

क्र. सं.	गांव/शहर आईडी	दिशा	संख्या	प्रारंभ	अंत	गांव/बस्ती/ अनुसूचित क्षेत्र का नाम	भूमि/संपत्ति/ढांचे के मालिक का नाम	लंबाई (मी.)		चौड़ाई (मी.)		क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	
								कुल	प्रभावित	कुल	प्रभावित	कुल	प्रभावित
15	एमजेडब्ल्यू	दायीं ओर	14	28+480	28+482	कलखर	कृष्ण चंद	2	2	1.5	1.5	3	3
16	केएलके	बायीं ओर	15	28+490	28+496	कलखर	छाजू राम	6	6	4	4	24	24
17	केएलके	बायीं ओर	16	28+496	28+504	कलखर	सावित्री देवी	8.4	8.4	4	4	33.6	33.6
18	केएलके	बायीं ओर	16	28+496	28+504	कलखर	श्रीमती कांता कौशल (किराएदार)	एक ही ढांचे के लिए 2 पीएपीज (1 मालिक और 1 वाणिज्यिक दूकान का किराएदार)					
कुल								**153**	**152.5**	**122**	**39.3**	**1505**	**326.27**